संख्या-8/1156(1)/26-3-2014

प्रेषक,

सुनील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 29 अगस्त, 2014

विषय :- संविधान के अनुच्छेद-275(1) के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के निवास करने वाले क्षेत्रों में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त संविधान के अनुच्छेद- 275(1) के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के निवास करने वाले क्षेत्रों में मूलभूत सुविधायें (जैसे- नाली, सड़क पुलिया सामुदायिक केन्द्र) उपलब्ध कराये जाने हेतु अवस्थापना मद में भारत सरकार द्वारा प्रदेश सरकार को केन्द्रांश उपलब्ध कराया जाता है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने जनपद का सर्वेक्षण कराकर भारत सरकार की उक्त योजना के अनुरूप अति पिछड़े अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ग्रामों के विकास हेतु अवस्थापना मद में कराये जाने वाले कार्यों का विवरण आगणन सहित भारत सरकार को केन्द्रांश उपलब्ध कराये जाने हेतु कृपया निदेशक, जनजाति विकास के माध्यम से प्रस्ताव उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in